



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 11-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 16, 2025 (PAUSA 26, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 16 जनवरी, 2025

संख्या 09/जीएसटी-2.- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, सारणी में, -

- (क) क्रम संख्या 25क के सामने, खाना (3) के नीचे, "पारेषण और वितरण" शब्दों के स्थान पर "पारेषण या वितरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) क्रम संख्या 36क और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36ख	शीर्ष 9971 या शीर्ष 9991	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 164ख के अधीन गठित मोटर यान दुर्घटना निधि द्वारा प्रदान की जाने वाली बीमा सेवाएं जो मोटर यानों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित किए गए प्रीमियम में से बीमाकर्ताओं द्वारा दिए गए अंशदान के विरुद्ध प्रदान की गई हैं	शून्य	शून्य

- (ग) क्रम संख्या 69 के सामने, खाना (3) की प्रविष्टि में, मद (ड़) के बाद, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-
"(च) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित कोई प्रशिक्षण भागीदार।"

- (ii) उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,
 (क) प्रथम अप्रैल, 2025 से मद (ब) का लोप कर दिया जाएगा;
 (ख) मद (यज) के बाद, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—
 “(यजक) “बीमाकर्ता” का वही अर्थ है, जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की धारा 2 की उपधारा (9) में इसे दिया गया है।”।

देविंदर सिंह कल्याण,
 प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
 आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 16th January, 2025

No. 09/GST-2.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:—

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, in the table, -

- (A) against serial number 25A, under column (3), for the words “transmission and distribution” wherever occurring, the words “transmission or distribution” shall be substituted;
- (B) after serial number 36A and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“36B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of insurance provided by the Motor Vehicle Accident Fund, constituted under section 164B of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), against contributions made by insurers out of the premiums collected for third party insurance of motor vehicles.	Nil	Nil”

- (C) against serial number 69, under column (3), after item (e), the following item shall be added, namely :-
 “(f) a training partner approved by the National Skill Development Corporation.”;
- (ii) in paragraph 2 of the said notification,
 (A) item (w) shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2025;
 (B) after item (zj), the following item shall be inserted, namely: -
 “(zja) “insurer” has the same meaning as assigned to it in sub-section (9) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (Central Act 4 of 1938).”.

DEVINDER SINGH KALYAN,
 Principal Secretary to Government Haryana,
 Excise and Taxation Department.